न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

प्रधानी अपील वाद सं0–04 / 2022–23

कलाम मुर्मू
बनाम
मनी सोरेन एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

08.05.2023

आदेश

यह अपीलवाद, अपीलकर्त्ता कलाम मुर्मू, पिता–स्व0 नाईकी मुर्मू, सा0–दुबराजपुर, थाना–महेशपुर, जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के पी0ए0 वाद सं0–44 / 2009–10 में दिनांक–19.04.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध (1) झारखण्ड राज्य (2) अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ एवं (3) मनी सोरेन, पति–स्व0 मधवा मुर्मू, सा0–दुबराजपुर, थाना–महेशपुर, जिला–पाकुड़ को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है।

मामला संक्षेप में यह है कि अंचल महेशपुर के प्रश्नगत मौजा दुबराजपुर का ग्राम प्रधान नियुक्त करने हेतु कलाम मुर्मू (इस वाद के अपीलकर्त्ता) एवं मनी सोरेन (इस वाद की उत्तरवादी सं0–03) के द्वारा निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। दाखिल आवेदन पर निम्न न्यायालय द्वारा पी0ए0 वाद सं0–44 / 2009–10 संस्थित कर सुनवाई की गई एवं दिनांक–18.06.2011 को पारित आदेश द्वारा कलाम मुर्मू (इस वाद के अपीलकर्त्ता) को SPT Act 1949 की धारा 5 के तहत प्रश्नगत मौजा का ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक–18.06.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध मनी सोरेन (इस वाद की उत्तरवादी सं0–03) के द्वारा इस न्यायालय में अपील दायर किया गया, जिसे RMA No.-15/2011 के रूप में पंजीकृत किया गया। उक्त वाद में दिनांक–28.10.2020 को पारित आदेश द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक–18.06.2011 को निरस्त करते हुए वाद इस आदेश के साथ Remand किया गया कि सर्वप्रथम धारा 6 के तहत दावे का निष्पादन करेंगे तथा वंशानुगत दावे के अस्वीकृत होने की स्थिति में धारा 5 के तहत विधिवत ग्राम प्रधान की बहाली करेंगे। Remand पर प्राप्त होने पर निम्न न्यायालय द्वारा पुनः सुनवाई की गई एवं दिनांक–19.04.2021 को पारित आदेश द्वारा मनी सोरेन को SPT Act 1949 की धारा 6 के तहत प्रश्नगत मौजा का ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया। यह अपीलवाद, निम्न न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की क्रम संख्या और तारीख
1	2	

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस को विस्तारपूर्वक सुना गया। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत मौजा एक प्रधानी मौजा है तथा उक्त मौजा के खतियानी ग्राम प्रधान अनपा मुर्मू थे। अपीलकर्त्ता उक्त खतियानी प्रधान के पौत्र है। खतियानी ग्राम प्रधान की मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति की प्रधान पद नियुक्ति नहीं हुई। उत्तरवादी सं0–03 का खतियानी प्रधान से कोई संबंध नही है। इस न्यायालय के RMA वाद सं0–15/11 में पारित आदेश द्वारा वाद इस आदेश के साथ Remand किया गया कि पहले धारा 6 के तहत वंशानुगत दावे का निष्पादन किया जाय तथा वंशानुगत दावे के अस्वीकृत होने की स्थिति में धारा 5 के तहत विधिवत नियुक्ति की जाय। निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरवादी सं0–03 की नियुक्ति इस आधार पर की गई कि वो अंतिम कार्यकारी प्रधान स्व0 माधवा मुर्मू की पत्नी है तथा अंतिम कार्यवाहक प्रधान के Direct line के उत्तराधिकारी है। SPT Act 1949 में कार्यवाहक प्रधान का कोई प्रावधान नहीं है। पट्टाधारी ग्राम प्रधान के वंशज को ही धारा 6 के तहत बहाल किया जा सकता है। इस न्यायालय को प्रेषित अंचल अधिकारी, महेशपुर के पत्रांक–369/रा0, दिनांक–10.04.2023 के प्रतिवेदन से भी यह स्पष्ट है कि कलाम मुर्मू अंतिम पट्टाधारी प्रधान अपना मुर्मू के पौत्र है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून की नजर में बिल्कूल गलत है। उनके द्वारा अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी सं0–03 के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि खतियानी प्रधान की मृत्यू के बाद मिसिर मुर्मू कार्यवाहक प्रधान बने एवं उनकी मृत्यु के बाद माधवा मुर्मू कार्यवाहक प्रधान नियुक्त किए गए। उत्तरवादी सं0–03 उक्त माधवा मुर्मू की पत्नी एवं वैद्य उत्तराधिकारी है। निम्न न्यायालय द्वारा बिल्कुल सही विवेचना कर आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उभय पक्ष की दलीलों तथा अंचल अधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत मौजा दुबराजपुर एक प्रधानी मौजा है तथा उक्त मौजा के खतियानी ग्राम प्रधान अनपा मुर्मू थे। कलाम मुर्मू (अपीलकर्त्ता) खतियानी ग्राम प्रधान अनपा मुर्मू के पौत्र है। अनपा मुर्मू के बाद उक्त मौजा में ग्राम प्रधान पद पर किसी भी रैयत की विधिवत नियुक्ति नहीं हुई है। उत्तरवादी सं0–03 द्वारा खतियानी प्रधान से अपना कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सका। उनका दावा कार्यवाहक प्रधान माधवा मुर्मू की पत्नी होने के आधार पर है।

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

निम्न न्यायालय द्वारा कार्यवाहक ग्राम प्रधान की पत्नी को SPT Act 1949 की धारा 6 के तहत नियुक्त कर दिया गया। कार्यवाहक ग्राम प्रधान का कोई Concept SPT Act 1949 में नहीं है। नियुक्त ग्राम प्रधान की मृत्यु पर उनके अगले उत्तराधिकारी को वंशानुगत आधार पर नियुक्त करने का प्रावधान है। निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकर्त्ता के इस दावे कि वे खतियानी प्रधान के पौत्र है, की सत्यता के संदर्भ में कोई जॉच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया गया। इस न्यायालय द्वारा कलाम मुर्मू के दावे के संदर्भ में अंचल अधिकारी से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदनानुसार कलाम मुर्मू मौजा दुबराजपुर के खतियानी ग्राम प्रधान अनपा मुर्मू के पौत्र है। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून के विरूद्ध एवं मनमाना है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। यह वाद इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना के द्वारा Thakur Hembrom Vrs State of Bihar & Others में पारित न्याय निर्णय के आलोक में 60 दिनों के अन्दर प्रश्नगत मौजा में ग्राम प्रधान की नियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.06.14 17:01:11 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:1841:4146:3557:ab1f

Scanned with OKEN Scanner